न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी : श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या : 480/2024

प्रार्थीगण — बनाम — अप्रार्थी

1 रामेश्वर पुत्र मुकनचन्द 2 मजरी पत्नी मुकनचन्द जाति जैन निवासी सांईयों का तला, बाटाडू तहसील बायतु जिला बाड़मेर।

1 मगराज पुत्र कुन्दनमल 2 जीवणमल पुत्र गोरधनदास फौत के कायम मुकाम 2/1 जगदीश 2/2 मिश्रीमल 2/3 महेन्द्र कुमार पिसरान जीवणमल 2/4 मोहनीदेवी पत्नी जीवणमल 3 वीरोंदेवी पत्नी चौखाराम जाति जाट निवासी मदरूपाणियों की ढाणी पनावड़ा तहसील बाटाडू जिला बाडमेर 4 तहसीलदार बाटाडू।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :-

1. श्री भीमाराम कुमावत, वकील प्रार्थीगण पक्ष।
2. श्री प्रेम प्रजापत, वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 03।

आदेश

दिनांक 15/01/25

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत मौजा सांईयों का तला पटवार हल्का सांईयों का तला तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1703/1268 रकबा 3.8832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1706/1268 रकबा 5.8248 हैक्टेयर भूमि पैतृक कब्जा काश्त की भूमि आई हुई है, जो भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण के सेढासेढ अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के खेत खसरा संख्या 1268 रकबा 8.1871 हैक्टेयर खसर संख्या 1705/1268 रकबा 8.7372 हैक्टयर, खसरा संख्या 1704/1268 रकबा 9.5462 हैक्टयर, खसरा संख्या 1828/1268 भूमि आई हुई है, जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के मूल खेत खसरा संख्या 1268 के ही भाग थे किन्तु पक्षकारान के मध्य विभाजन के पश्चात विभक्त हुई। उक्त विभाजन के पश्चात तरमीम भी हुई परन्तु मौके व कब्जा काश्त अनुसार नही होकर मौके से विपरित कर दी गई। राजस्व अधिकारियों से मौके के अनुसार नही कर गलत तरमीम कर दी गई जो तरमीम मौके पर कब्जा काश्त व राजस्व जमाबन्दी में पूर्णतया अन्तर व भिन्नता है। राजस्व कर्मचारियों ने लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करते समय मौक व कब्जा काश्त के विपरित कर दी गई। प्रार्थीगण मौजा सांईयों का तला पटवार हल्का सांईयों का तला तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1703/1268 रकबा 3.8832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1706/1268 रकबा 5.8248 हैक्टेयर भूमि में तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के खेत खसरा संख्या मौजा सांईयों का तला पटवार हल्का सांईयों का तला तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या [illegible] 1268 रकबा 8.1871 हैक्टेयर खसर संख्या 1705/1268 रकबा 8.7372 [illegible] 1704/1268 रकबा 9.5462 हैक्टयर, खसरा संख्या 1828/1268 भूमि [illegible] राजस्व नक्शा में तरमीम [illegible] के अनुसार नहीं कर राजस्व अधिकारियों ने बिना [illegible] किये तथा प्रार्थीगण के [illegible] काश्त अनुसार न कर गलत तरमीम अंकित की दी गई, जो तरमीम प्रार्थीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण मौजा सांईयों का तला पटवार हल्का सांईयों का तला तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.01.30 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी बाड़मेर

268 रकबा 3.8832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1706/1268 रकबा 5.8248 हैक्टेयर भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के खेत खसरा संख्या मौजा सांईयों का तला पटवार हल्का सांईयों का तला तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1268 रकबा 8.1871 हैक्टेयर खसरा संख्या 1705/1268 रकबा 8.7372 हैक्टयर, खसरा संख्या 1704/1268 रकबा 9.5462 हैक्टयर, खसरा संख्या 1828/1268 भूमि की तरमीम दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 03 उपस्थित।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के बीच खेतों की तरमीम की गई है जो मौके व कब्जा काश्त अनुसार नही है। राजस्व अधिकारियों से मौके के अनुसार नही कर गलत तरमीम कर दी गई जो तरमीम मौके पर कब्जा काश्त व राजस्व जमाबन्दी में पूर्णतया अन्तर व भिन्नता है। राजस्व कर्मचारियों ने लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करते समय मौके व कब्जा काश्त के विपरीत कर दी गई। प्रार्थीगण मौजा सांईयों का तला पटवार हल्का सांईयों का तला तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1703/1268 रकबा 3.8832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1706/1268 रकबा 5.8248 हैक्टेयर भूमि में तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के खेत खसरा संख्या मौजा सांईयों का तला पटवार हल्का सांईयों का तला तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या खसरा संख्या 1268 रकबा 8.1871 हैक्टेयर खसरा संख्या 1705/1268 रकबा 8.7372 हैक्टयर, खसरा संख्या 1704/1268 रकबा 9.5462 हैक्टयर, खसरा संख्या 1828/1268 भूमि की वर्तमान राजस्व नक्शा में तरमीम मौके के अनुसार नहीं कर राजस्व अधिकारियों ने बिना जांच किये तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त अनुसार न कर गलत तरमीम अंकित की दी गई। लिहाजा प्रार्थीगण मौजा सांईयों का तला पटवार हल्का सांईयों का तला तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1703/1268 रकबा 3.8832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1706/1268 रकबा 5.8248 हैक्टेयर भूमि में तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के खेत खसरा संख्या मौजा सांईयों का तला पटवार हल्का सांईयों का तला तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1268 रकबा 8.1871 हैक्टेयर खसरा संख्या 1705/1268 रकबा 8.7372 हैक्टयर, खसरा संख्या 1704/1268 रकबा 9.5462 हैक्टयर, खसरा संख्या 1828/1268 भूमि की तरमीम दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे। तहसीलदार बाटाडू से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाटाडू ने अपने पत्रांक भू.अ./2024/1050 दिनांक 02.12.2024 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा सांईयों का तला पटवार हल्का सांईयों का तला तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1703/1268 रकबा 3.8832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1706/1268 रकबा 5.8248 हैक्टयर भूमि व खसरा संख्या 1268 रकबा 8.1871 हैक्टेयर खसरा संख्या 1705/1268 रकबा 8.7372 हैक्टयर, खसरा संख्या 1704/1268 रकबा 9.5462 हैक्टयर भूमि के मौके के अनुसार वर्तमान में परिशिष्ठ 'ए' के अनुसार तरमीम नही है मौके व कब्जा अनुसार परिशिष्ठ 'बी' के अनुसार है। परिशिष्ठ का नक्शा मौके पर बनाया गया जिसपर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने सहमति व्यक्त की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.01.30 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

मौका रिपोर्ट [illegible] । उभय पक्षों द्वारा तहसीलदार बाटाडू की मौका रिपोर्ट के [illegible] मौजा सांईयों का तला पटवार हल्का सांईयों का तला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1703/1268 रकबा 3.8832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1706/1268 रकबा 5.8248 हैक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 1268 रकबा 8.1871 हैक्टेयर खसरा संख्या 1705/1268 रकबा 8.7372 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1704/1268 रकबा 9.5462 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ट्रेस में अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट "बी" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने पर अपनी सहमति प्रकट की। [illegible] का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत 2075-2078, नक्शा, शिनाख्त प्रमाण पत्र एवं संलग्न परिशिष्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाटाडू ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौका पर कब्जा के संलग्न नक्शा परिशिष्ट "बी" के अनुसार है तथा प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती हेतु खातेदार द्वारा सहमति प्रकट की गई है। अतः मौजा सांईयों का तला पटवार हल्का सांईयों का तला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1703/1268 रकबा 3.8832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1706/1268 रकबा 5.8248 हैक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 1268 रकबा 8.1871 हैक्टेयर खसरा संख्या 1705/1268 रकबा 8.7372 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1704/1268 रकबा 9.5462 हैक्टेयर भूमि की संलग्न परिशिष्ट "बी" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। लिहाजा मौजा सांईयों का तला पटवार हल्का सांईयों का तला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1703/1268 रकबा 3.8832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1706/1268 रकबा 5.8248 हैक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 1268 रकबा 8.1871 हैक्टेयर खसरा संख्या 1705/1268 रकबा 8.7372 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1704/1268 रकबा 9.5462 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान नक्शा ट्रेस तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट "बी" के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा सांईयों का तला पटवार हल्का सांईयों का तला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1703/1268 रकबा 3.8832 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1706/1268 रकबा 5.8248 हैक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 1268 रकबा 8.1871 हैक्टेयर खसरा संख्या 1705/1268 रकबा 8.7372 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1704/1268 रकबा 9.5462 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट "बी" अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाटाडु तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाटाडु द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट "बी" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.01.30 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

(वीरमो राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 15/01/25 को सरे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर